चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 09.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 09.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी खण्डेहा व उनकी टीम द्वारा जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर करने वाले आरोपी अभियुक्त को अवैध तमंचा(चैम्बर में फंसे कारतूस) के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 12/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर
2. मु0अ0सं0 13/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना राजापुर
3. मु0अ0सं0 166/25 धारा 106(1),281 बीएनएस एक्ट थाना राजापुर
4. मु0अ0सं0 284/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ
5.

बरामदगी-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. चैम्बर में फंसा हुआ कारतूस

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 08.09.025 को वादी कमलेश सिंह पुत्र बृजभूषण सिंह ग्राम खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट समय 8.30 बजे रात्रि में थाना मऊ पर सूचना दी कि उनका भाई शिवलखन सिंह जो दिव्यांग है, पुराने घर पर था कि अभय पटेल पुत्र प्रदीप पटेल निवासी नादिन कुर्मियान थाना राजापुर चित्रकूट आया और जान से मारने की नियत से अवैध तमंचा से उनके भाई के ऊपर फायर कर दिया जिससे वह घायल हो गया। उसने फायर किया था। जब अभय भाग रहा था तभी शिवलखन के परिवारीजनों ने उसे तमंचा सहित पकड़ लिया । सूचना पाकर चौकी प्रभारी खण्डेहा श्री अनिल कुमार व उनकी टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर अभियुक्त अभय उपरोक्त को तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 284/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.चौकी प्रभारी खण्डेहा उ0नि0 श्री अनिल कुमार

2.आरक्षी नंन्दलाल

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविंद्र कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में चौकी जिला कारागार पुलिस टीम ने चोरी के 02 आरोपी अभियुक्त को चोरी के

60.800 किलोग्राम गेहूँ,12.350 किलोग्राम,23.400 किलोग्राम आटा व 01 अदद गैस सिलेण्डर भरा के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-

1. विद्यासागार उर्फ नत्थू यादव पुत्र स्व0 रंजीत यादव

2. अनी कुमार उर्फ गरीबदास पुत्र स्व0 मुन्ना कहार निवासीगण रगौली कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

1. 60.800 किलोग्राम गेहूँ
2. 12.350 किलोग्राम
3. 23.400 किलोग्राम आटा
4. 01 अदद गैस सिलेण्डर भरा

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 07.09.025 को वादिया मंजू उर्फ सुनीता पत्नी राजकुमार उर्फ मुन्ना निवासी रगौली कोतवाली कर्वी चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि कुछ अज्ञात चोरों ने उनके घर के पीछे के रास्ते से दीवाल तोड़कर घर में रखा गेहूँ, आटा,अरहर की दाल व 01 गैस सिलेन्डर इण्डियन गैस का चोरी कर लिया है,इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 571/25 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली व उनकी टीम को चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु लगाया गया।

दिनाँक 08.09.025 को चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली व उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चोरी गाँव के ही विद्यासागर उर्फ नत्थू व अनी कुमार उर्फ गरीबदास ने की है जो इस समय नत्थू के घर पर मौजूद है जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते है। सूचना पर विश्वास कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नत्थू के घर पहुँचकर दोनो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनो व्यक्तियों से नाम पता के सम्बन्ध में पूंछताछ की गयी तो पहले ने अपना नाम विद्यासागार उर्फ नत्थू यादव पुत्र स्व0 रंजीत यादव व दूसरे ने अपना नाम अनी कुमार उर्फ गरीबदास पुत्र स्व0 मुन्ना कहार निवासीगण रगौली कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट बताया। चोरी किए हुए समान के बारे में कड़ाई से पूंछताछ की गयी तो दोनों ने एक सुर में बताया कि मंजू उर्फ सुनीता उपरोक्त के घर से चोरी किए हुए समान को हम दोनों ने अपने घर में छिपा रखा है,दोनो के द्वारा बताए गए स्थान से 60.800 किलोग्राम गेहूँ,12.350 किलोग्राम,23.400 किलोग्राम आटा व 01 अदद गैस सिलेण्डर भरा हुआ बरामद किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.चौकी प्रभारी जिला कारागार श्री विवेक कुमार सिंह

2.आरक्षी जयनारायण पटैरिया

3.आरक्षी संजय पाल

4.आरक्षी शुभम शर्मा

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका श्रीमती प्रियंका देवी पत्नी प्रह्लाद निवासी सुरौधा थाना मऊ ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति गंगा उर्फ पिंटू व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया के साथ गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी,मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी

2.मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव

4.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0)एफ0टी0सी0 श्रीमती इला चौधरी द्वारा आज दिनांक 09.09.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0स0 109 /2022 धारा 504,506 के अभियुक्त 1.रामाधार पुत्र जगतपाल उर्फ दुक्कड़ 2.सतीभान पुत्र रामसूरत 3.दिनेश पुत्र रामनिहोरे निवासीगण रेवटन डेरा मजरा तीर धुमाई गंगू थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे एवं पैरोकार महिला आरक्षी हिमांशु पटेल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 09.09.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 21/2007 धारा 323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रज्जन मिश्रा पुत्र उमेश मिश्रा निवासी कटैया डांडी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री

मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी मो0 आरिफ तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 09.09.025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 127/20 धारा 504 भादवि0 ,08 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त श्यामचरण पाण्डेय पुत्र गंगाप्रसाद पाण्डेय निवासी भैंसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के कठोर कारावास और 11000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरणः- दिनांक 19.11.020 को थाना भरतकूप अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी कि अभियुक्त श्यामचरण उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ अश्लील हरकत कर,गाली गलौज कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 127/020 धारा 506 भादवि0 ,8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पांडेय द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दिनाँक 02.03.021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। के आरोपी अभियुक्त श्यामचरण पाण्डेय पुत्र गंगाप्रसाद पाण्डेय निवासी भैंसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के कठोर कारावास और 11000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।